निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 607/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामगोपाल पुत्र श्री रामसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बन्दावाला की ढ़ाणी, ग्राम पातलवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. कैलाश दत्तक पुत्र ग्यारसी लाल जाति महाजन निवासी ग्राम सानकोटड़ा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

3. रामकिशोर पुत्र रामसहाय (फौत),
   3/1. बोदू पुत्र रामकिशोर,
   3/2. रामकुवार पुत्र रामकिशोर,
4. रामू पुत्र रामसहाय,
5. भंवर लाल पुत्र नन्दा (फौत),
   5/1. रामकरण पुत्र भंवरलाल,
   5/2. छीतर पुत्र भंवर लाल,
   5/3. सीताराम पुत्र भंवर लाल,
   5/4, रामगोपाल पुत्र भंवर लाल,
6. सुवालाल पुत्र नन्दा,
7. रामसहाय पुत्र नन्दा,
8. गंगासहाय पुत्र नन्दा (फौत),
   8/1. हनुमान सहाय पुत्र गंगासहाय,
   8/2. रामदयाल पुत्र गंगासहाय,

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बन्दावाला की ढ़ाणी, ग्राम पातलवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 291/2019 ब–उनवानी रामकिशोर बनाम कैलाश को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नेमीचंद जलवानियां, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 03.11.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 291/2019 ब–उनवानी रामकिशोर बनाम कैलाश जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री नेमीचंद जलवानियां, अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। दिनांक 18.08.2025 को न्यायालय परिसर में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठा हुआ दिखा तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसी दिन गांव के लोगों से यह कहा गया कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है, आगामी पेशी पर उक्त प्रकरण का फैसला मेरे पक्ष में करवा लूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जो कि अपने प्रभाव के चलते पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव व प्रलोभन में लेकर प्रार्थी के प्रकरण को खारिज करवाने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव व प्रलोभन में है, इस कारण प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह

जिला कलक्टर
जयपुर

परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner